प्रकरण संख्या 72/2018 मरता बनाम नरेश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.10.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरूपाल में आराजी नंबर 3651 रकबा 0.9000 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे की ओर वादी का 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। गत पैमाईश में भूमि वादी के नाम दर्ज थी, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान भूलवश वादी का नाम हटा दिया गया है एवं भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गयी है, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट वालों को नहीं है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 03.05.2018 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04.07.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सूचना दिये प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे। उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को	

उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण जवाब एवं तलबी हेतु विचाराधीन था, किन्तु बिना जवाब लिए एवं बिना तलबी के प्रकरण दिनांक 03–05–2018 को राजस्व कैम्प में रखकर वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में वादी का वाद खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में जवाब लेकर प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर एवं उन पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर तथा सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.12.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 72/2018 मरता बनाम नरेश व अन्य

प्रकरण संख्या 72/2018 मरता बनाम नरेश व अन्य